कृपया प्रकाशनार्थ **24 अक्टुबर 2008**

कुष्ठपीडितों के सबलीकरण हेतु राम नाईक की याचिका पर राज्य सभा में अहवाल प्रस्तुत

मुंबई, शुक्रवार : "कुष्ठपीडितों को प्रति व्यक्ति प्रति मास रु. 2,000/- का निर्वाह भत्ता दिया जाए, सरकार ने उनकी बस्तीयों में ही विनामूल्य वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए. पानी, बिजली, आदी नागरी सुविधाएं भी ऐसी बस्तीयों को विनामूल्य प्राप्त हो, कुष्ठपीडितों के बच्चों को सरकार द्वारा स्नातक दर्जे तक की शिक्षा मुफ्त प्राप्त हो, आदी महत्तवपूर्ण सिफारीसों से पूर्ण अहवाल राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष श्री. एम. व्यंकैया नायडू ने आज राज्यसभा में प्रस्तुत किया, ऐसी जानकारी पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ती में दी है.

कुष्ठपीडितों के वैद्यकीय, सामाजिक तथा आर्थिक सबलीकरण हेतु श्री. राम नाईक तथा कुष्ठपीडितों के लिए सेवाकार्य करनेवाले मशहूर डॉ. पी. के. गोपाल (अध्यक्ष, आयडीया इंडिया), डॉ. शरद गोखले (इंटरनॅशनल लेप्रसी युनियन), श्री. उदय ठकार (कुष्ठरोग निवारण समिती, पनवेल), श्री. शांताराम भोईर (महाराष्ट्र कुष्ठपीडित संघटना) और श्री. भिमराव मधाळे (संजय नगर रहिवासी संघ, बोरीवली) आदी ने 5 दिसंबर 2007 सांसद श्री. वेदप्रकाश गोयल के माध्यम से राज्यसभा में याचिका पेश की. राज्यसभा अध्यक्ष ने इस याचिका का स्वीकार करते हुए उसे अगली कारवाई के लिए याचिका समिति के अध्यक्ष श्री. एम. व्यंकैया नायडू के पास भेज दिया. समिति के सामने सभी याचिकाकर्ताओं की 0 जून 2008 को सुनवाई हुई. उसके बाद याचिका समिति ने मुंबई, हैदराबाद, तिरुपति, नेलोर, चेंगलपट्टी और चेन्नई आदी शहरों में कुष्ठपीडितों की बस्तीओं का मुआवना किया. अनेक सामाजिक संस्थांओं से, विभिन्न राज सरकारों से तथा महापालिका ओं से भी समिति ने विचार-विमर्श किया. बाद में अपना अहवाल आज 24 अक्टूबर को समिति ने राज्यसभा में पेश किया.

इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, "कुष्ठपीडितों की समाज उपेक्षा करता है. अपनी रोजी-रोटी वें खुद कमा नहीं सकते. कुष्ठरोग संसर्गजन्य नहीं हैं यह अब सिध्द हुआ है फिर भी उसे समाज में लांछन माना जाता है. अलग-अलग 16 कानून ऐसे है जिनमें अब सुधार की जरुरत है. यह स्थिती बदले और कुष्ठपीडितों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति बने ऐसा मेरा तथा कुष्ठपीडितों के लिए सेवा कार्य करनेवाले कईयों का अभिमत बना. इसके लिए लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की ओर से प्रतिसाद न मिलने के कारण हमने राज्यसभा में याचिका दर्ज करने कर निर्णय लिया,"

उपर दी हुई सिफारीशों के साथ-साथ याचिका समिति ने जो अन्य महत्त्वपूर्ण सिफारीसें की वें इसप्रकार है : 1) देश की सभी कुष्ठपीडितों की बस्तीओं का मुआवना लिया जाए. इस विषय में समाज कल्याण व सबलीकरण मंत्रालय तथा आरोग्य व परिवार कल्याण मंत्रालय हमेशा से ही एक-दुसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं. इसलिए राष्ट्रीय निती अपनाने की जरुरत है, 2) सभी राज्यों में तथा केंद्र सरकार में जिन कानूनों में सुधार की आवश्यकता है उन सभी में सुधार किए जाए, 3) कुष्ठपीडा के बारे में अभी भी समाज में काफी गलतफहमीयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रबोधन के कार्यक्रम सरकार करें, उसके लिए जानकारी देनेवाली डाक्युमेंट्री भी बनाएं, 4) इसे कलंक न मान कर कुष्ठपीडित की उपेक्षा न हो इसलिए उसे 'कुष्ठरुग्ण' नहीं तो 'कुष्ठपीडित' कहें, 5) इस समस्या का केवल सरकार की कोशिशों से निराकारण नही होगा. सभी ने 'मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है' ऐसा मानकर कुष्ठपीडितों की मदद करनी चाहीए.

याचिका समिति के अध्यक्ष श्री. एम. व्यंकैया नायडू तथा सभी सदस्य सांसदों ने इस विषय को जिस अपनत्व तथा कार्यक्षमता से देखा और अपना अहवाल राज्य सभा में पेश किया उसके लिए उन सबको श्री. राम नाईक ने धन्यवाद दिया. अब केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों ने भी समिति की सिफारीसों पर जल्द से जल्द अंमल करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा भी अंत में श्री. राम नाईक ने व्यक्त की.

(कार्यालय मंत्री)